



2026:AHC:53583

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3568 वर्ष 2026

अशोक कुमार सक्सेनायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अक्षय कुमार शुक्ला, रवींद्र पाल सिंह कश्यप

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी.एस. कश्यप और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति 04.02.1993 को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर हुई थी और वह 13.06.2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, हालांकि, जिला पंचायत राज अधिकारी, बदायूं के आदेश दिनांक 01.01.2026 के माध्यम से उन लाभों को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है जो याचिकाकर्ता को एसीपी के रूप में दिए गए थे। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आदेश कायम रहने योग्य नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, और यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य (1994) 6 SCC 154** पर भरोसा किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि मामला जो भी हो, प्रतिवादियों के लिए त्रुटियों को सुधारना हमेशा खुला है, हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि विवादित आदेश से यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था या यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला है।

4. मैंने न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को कुछ लाभ दिए गए थे जिन्हें प्रतिवादियों के अनुसार नहीं दिया जाना चाहिए था। विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था और इसके अतिरिक्त क्या यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला है। **भगवान शुकला (उपरोक्त)** में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:-

"3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में 18.12.1970 से भूतलक्षी प्रभाव से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता पर स्पष्ट रूप से नागरिक परिणाम पड़े हैं, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। वेतन कम करने से पहले उसे नोटिस तक नहीं दिया गया और विभाग द्वारा कानून की किसी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पीठ पीछे आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय हानि पहुँचाई गई है। कार्य में निष्पक्षता की मांग है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी पर नागरिक परिणाम भुगतने के रूप में पड़ता हो, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए 25.7.1991 का आदेश (जापन), जिसे ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता था और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में त्रुटि की। ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 17.9.1993 के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के समक्ष विवादित आदेश (जापन) दिनांक 25.7.1991 को रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये किया गया था।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. चूंकि रिट याचिकाकर्ता को सुना नहीं गया है और विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला है, इसलिए विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।
7. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित शर्तों के साथ तय की जा रही है:-
(क) जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बदायूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2026 को रद्द किया जाता है; (ख) मामला नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।
8. इस स्तर पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने कहा कि कारण बताओ नोटिस **17.04.2026** तक जारी किया जाएगा, रिट याचिकाकर्ता **30.03.2026** तक अपना जवाब दाखिल करेंगे और तीन महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाएगा। कोई भी वसूली, यदि की जाती है, तो वह पारित होने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी।
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, जे.)

मार्च 16, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।